

## न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या— 68/2016

बउनवान

सूरजमल पुत्र नाथूलाल जाति—धाकड निवासी रातडिया  
तहसील—अन्ता, जिला—बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार,अन्ता

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :—1. श्री धर्मेन्द्रसिंह चौधरी अभिभाषक  
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक— 24.05.2018

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 23.12.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—रातडिया, तहसील—अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 711 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 640/—रूपये अर्थदण्ड एवं 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की झूटी रिपोर्ट के आधार पर सजायाब करने में भारी भूल की है। आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया है ना ही स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य की है। एकपक्षीय आदेश पारित में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.12.2015 निरस्त फरमया जाकर अपीलांट को दोषमुक्त किया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर सजायाब किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एवं पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी

जिला कलक्टर  
बारां (राज०)

स्थिति में अपीलान्त को पश्चात्कर्ती नहीं घोषित किया जा सकता। विवादित आराजी से अपीलान्त ने कब्जा छोड दिया है। अपीलान्त भविष्य में उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने हेतु बचनबद्ध है। उसके विरुद्ध कोई तावान राशि भी बंकाया नहीं है। अतः अपीलान्त की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलान्त के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलान्त विवादित आराजी पर पश्चात्कर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को पूर्व में अतिचार करने पर सम्वत् 2070 में भी बेदखल किया गया है। हल्का पटवारी के बयानों के भी प्रमाणित है कि अपीलान्त अतिक्रमण करने का आदी है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्त व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्कर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को उक्त आराजी पर पूर्व में बाड कर कब्जा करने पर सम्वत् 2070 में बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को विवादित आराजी पर पश्चात्कर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप ही सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलान्त की अपील सारहीन पाये जाने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रकरण संख्या 307/15 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2015 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर



  
(डॉ०एस.पी.सिंह)  
जिला कलक्टर, बारां  
जिला कलक्टर  
बारां (राज०)